

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....

सहायक कलेक्टर (SDO)

मुकाम.....

असर दिह वीर

बनाम

रेवत्राराम वीर

किस्म मुकदमा.....

सी = झावेटर III, 128 RLR नं.

252/2022 सन्.

2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/05/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>जगदीश जोदारा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>III, 128 RLR</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>11/07/2022</u> को पेश हो।</p>	
11/07/2022	<p>पत्रावली आज पेश हुई/ वंजुलाय</p> <p>फरीदपुर उपस्थित/ श्रीमान पीठामिन</p> <p>अधिकारी अवकाश में होने से मिसल</p> <p>इलवा होकर दिनांक 12/07/2022 को</p> <p>पेश हो।</p>	
12/07/2022	<p>अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई/ प्रार्थी</p> <p>वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये</p> <p>रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी डिलेगर्ड रसिदे प्रार्थी</p> <p>वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।</p> <p>विप्रार्थीगण वाक्जुद तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय में</p> <p>तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 PM पर</p> <p>लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई</p> <p>अध्ययता उपस्थित नहीं हुआ जिसका विप्रार्थीगणों के विरुद्ध</p> <p>एकतरफा कार्यवाही अगल में लाई जाती है। प्रार्थी के</p> <p>अध्ययता की एकपक्षीय वादा सुनी गई, प्रार्थी के अधिकाता</p> <p>द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के आतेदारी खेत</p>	


तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय उपखण्ड
क्रमांक जाद/2022/254
प्रार्थी
अमरसिंह

रोडा रोड आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी गाढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।


जिला - बाडमेर
(EDO)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाडमेर

क्रमांक : वाद/2022/1254
प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 12/07/2022
विप्रार्थीगण

1. अमरसिंह पुत्र मेहकसिंह वगैरा 05,
जाति राजपुरोहित, निवासी कानोड,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिडा (बाडमेर)

1. रेखाराम पुत्र खेताराम वगैरा 04,
जाति मेगवाल, निवासी कानोड,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिडा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 252/2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - कानोड पटवार हल्का - कानोड, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 825/630 रकबा 2.5171 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक : वाद/2022/1255-59

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का कानोड को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री अमरसिंह पुत्र मेहकसिंह वगैरा 05,
4. विप्रार्थी श्री रेखाराम पुत्र खेताराम वगैरा 04,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 12/07/2022
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाडमेर